तत्काल / महत्वपूर्ण /
संख्या– 886 / सत्तर–3–2010

(1418)

प्रेषक,

डा0 रामानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– निदेशक, उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ:दिनांक– 28 अप्रैल, 2010

विषयः– उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निजी क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं जिन्हें रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित किये गये हो, के संदर्भ में निदेश दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पत्र संख्या–1465 / 8–1– 10–10विविध / 04 दिनांक 09–04–2010 (प्रतिलिपि संलग्नक सहित) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 03–06–2009 का अनुपालन कृपया तत्काल अपने स्तर से सुनिश्चित करायें। उपर्युक्त शासनादेश व्यापक जनहित में है। अतः इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव,

संख्या–886(1) / 70–3–2010, तद‌्दिनांक

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, एवं 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–यथोक्त

आज्ञा से,

(डा0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक– कु0 स0 / सम्बद्धता / 171 / 2010 दिनांक मई, 2010

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. माननीय कुलपति जी, सूचनार्थ।
2. प्रबंधक, समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

15.05.10

(आई0 पी0 झा)
कुलसचिव

886/70 3-10

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या 1465 / आठ–1–10–10विविध / 04
लखनऊ : दिनॉक : 9 अप्रैल 2010

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 19.04.96 (छायाप्रति संलग्न)एवं 01.02.99 (छायाप्रति संलग्न)के माध्यम से निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूखण्ड दिये जाने का प्राविधान किया गया है। पुनः शासनादेश दिनांक 03.06.2009(छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से यह प्राविधान किया गया है कि ऐसी शैक्षणिक संस्था जिनको रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित किया गया है या आवंटित किये जा रहे हैं, को समाज के सभी वर्गो के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों के लिये प्रवेश में 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना होगा तथा निर्धारित कुल देय फीस में 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना अनिवार्य होगा।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 03.06.2009 का अनुपालन शतप्रतिशत नहीं हो पा रहा है । चूंकि शैक्षणिक संस्थाओं पर प्रशासनिक नियत्रंण उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग का होता है । अतः शासनादेश दिनांक 03.06.2009 के माध्यम से किये गये प्राविधान का अनुपालन शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाना समीचीन होगा। इसके लिये शिक्षा विभाग द्वारा ऐसी समस्त शैक्षणिक संस्थायें जिन्हें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों भूखण्ड आवंटित किये गये है या किये जा रहे हैं को यह निर्देशित किया जाना आवश्यक है कि वे स्कूल के प्रवेश द्वार पर शासनादेश का प्रचार करने हेतु बोर्ड लगाये तथा इससे लाभान्वित होने वाले छात्रों का नाम भी अंकित करें ।

3– प्रश्नगत शासनादेश व्यापक जनहित में अतः इसका अनुपालन कड़ाई से कराये जाने का अनुरोध है ।

संलग्नक–यथोक्त

15780/SHE/10
VS(A)
12/4/10
(अनिल सन्त)
सचिव, उच्च शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन

681/VSM/10
J.S.
15-4-10

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव

15/4/2010

choudhary/uo

संख्या-1889/आठ-1-2009-10विविध/04

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ ।

(2) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

(3) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 ~~मई~~ जून 2009

विषयः-उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1704/9-आ-1-1996, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 एवं शासनादेश संख्या-231/9-आ-1-99, दिनांक 01 फरवरी, 1999 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में निजी क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

2- इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी शैक्षणिक संस्था जिनको उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित हैं या आवंटित किये जा रहे हैं, को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना तथा उन्हें निर्धारित कुल देय फीस में 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना अनिवार्य होगा।

3- अतः यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 03/6/09
(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव ।

choudhary/go